GOVERNMENT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

(RAILWAY BOARD)

****

No. 2003/TG-I/20/P/2 New Delhi, Dated: 02.11.2017

The Principal Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(COMMERCIAL CIRCULAR NO. 72 OF 2017)

Sub: Provision of seats for TTEs/Conductors.

*****

Please refer to this office letter No. 2001/TG-I/13/P dated 03.10.2002 wherein instructions have been issued regarding earmarking of accommodation for TTE/Conductors in Mail/Express trains, Rajdhani Express trains, Shatabdi Express trains, day journey trains and Jan-Shatabdi Express trains. The matter has been further reviewed keeping in view the trains which have been introduced subsequently e.g. Duronto, Humsafar, Suvidha Special trains etc. Moreover, the capacity of 3AC conventional coaches is 64 berths whereas that of LHB 3AC coaches is 72 berths and that of 3E coaches is 78 berths & hence 3E coaches should be considered at par with 3AC coaches. Accordingly, it has been decided to earmark the following accommodation for onboard Ticket Checking Staff & RPF/GRP:-

a. Mail/Express trains with sleeping accommodation and leg-wise manning (Covering normal Mail/Express trains, Mahamana etc.)

(i) Berth No. 5 in A-1 Coach only for Conductor manning 1st AC/ AC 2 tier/First Class coaches.
(ii) Berth No. 7 in B-1 /BE-1 Coach only for TTE manning AC3 tier/3E coaches.
(iii)Berth No. 7 in alternate sleeper class coaches for TTEs manning Sleeper Class coaches.

b. Mail/Express trains with sleeping accommodation and end to end manning (covering Rajdhani/Shatabdi/Duronto type trains)

(i) Berth No. 5 in A-1 Coach for TS manning 1st AC and 2nd AC coaches.
(ii) Berth No. 7 in B-1, B-3, B-5 & B-7 coaches of Dy. TS manning AC-2/3-tier coaches. In case of 3E, similar arrangements should be made in BE-1, BE-4 and BE-7 or G-1, G-3, G-5 & G-7 coaches in case of Garib Rath type trains.

c. Mail/Express trains with sitting accommodation and end to end manning.(Shatabdi type trains)

(i) Seat No. 1 in Coach No. C-1, C-3, C-5 & C-7 coaches for TS/Dy. TS.
(ii) Train superintendent will occupy the seat in the coach adjacent to the executive class coach.

Contd.... 2/-

d. Mail/Express trains having sitting accommodation and leg-wise manning(Inter-city type trains)

(i) Seat No.1 in every alternate second class coach for ticket checking staff manning these coaches.
(ii) Seat No.1 in alternate Chair Car coach.
(iii) In case composite coach with sitting and sleeping accommodation is attached, seat no.1 in the sitting portion of the composite coach should be earmarked, for the ticket checking staff.

e) Accommodation for RPF/GRP: One side lower berth (berth no. 63 in coach S1) may be earmarked in sleeper class coach in the entire train in which this staff is travelling. To make it clearer, if the train is being escorted by GRP, one berth will be earmarked for GRP and in case the train is escorted by RPF, one berth in sleeper class will be earmarked for RPF. In case no RPF/GRP is escorting the train, no accommodation will be earmarked for them.

2. The number of berths/seats to be earmarked in a train for onboard ticket checking staff will be keeping in view the composition of the train. In case the number of staff manning a train on regular basis (working as per roster) is less, the number of berths/seats to be earmarked for onboard ticket checking staff can be reduced and the same can be reviewed also subsequently based on manning on regular basis (working as per roster) subject to maximum yardstick indicated above. In the train also the number of berths/seats to be utilized by the onboard ticket checking staff will be equal to the number of staff and the berths/seats in excess will be released to RAC or other passengers.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. EDV(T),EDFC,DF(C),PPS/FC, OSD/TC, F(C) & V(SS) branches of Railway Board.
3. MD/IRCTC,B 148,11th Floor, Statesman House, Barakhamba Road, New Delhi - 110001
4. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5. DG, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6. The Principals, Zonal Railway Training Institutes, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Bhuli-Dhanbad, Northern Railway/Chandausi, East Central railway/Muzaffarpur, NF Railway/Alipurduar, Southern Railway/Trichy, South Central Railway/Moula Ali, SE Railway/Sini, North Western Railway/Udaipur.
7. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Lucknow-226001l.
8. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No. 370, Rail Bhawan, New Delhi.
11. Secretary General, Indian Railways Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12. Secretary General, All India RPF Association, Room No. 256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J.L. Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2003/टीजी-I/20/पी/2 **नई दिल्ली, दिनांक 02.11.2017**

प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 72)

विषय: टीटीई/कन्डक्टरों के लिए सीट का प्रावधान।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 03.10.2002 के पत्र सं. 2001/टीजी-I/13/पी का अवलोकन करें, जिसमें मेल/एक्सप्रेस गाडियों, राजधानी एक्सप्रेस गाडियों, शताब्दी एक्सप्रेस गाडियों, दिन में यात्रा पूरी करने वाली गाडियों और जन-शताब्दी एक्सप्रेस गाडियों में टीटीई/कन्डक्टरों के लिए स्थान निर्धारित करने के संबंध में अनुदेश जारी किए गए हैं। दुरांतो, हमसफर, सुविधा स्पेशल गाडियां आदि, जिन्हें बाद में चलाया गया है, को ध्यान में रखते हुए इस मामले की पुन: समीक्षा की गई है। इसके अलावा, पारंपरिक 3एसी कोचों की क्षमता 64 बर्थों की है, जबकि एलएचबी 3एसी कोचों की क्षमता 72 बर्थों और 3ई कोचों की क्षमता 78 बर्थों की है और इसलिए, 3ई कोचों को 3एसी कोचों के समकक्ष समझा जाए। तदनुसार, गाड़ी में चलने वाले टिकट चेकिंग स्टाफ और रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस के लिए निम्नलिखित स्थान निर्धारित करने का विनिश्चय किया गया है:-

क. मेल/एक्सप्रेस गाडियां जिनमें सोने का स्थान और लेग-वाइज तैनाती है (जिनमें सामान्य मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां, महामना आदि शामिल हैं)

(i) प्रथम वातानुकूलित/वातानुकूलित 2 टीयर/प्रथम श्रेणी के कोचों में तैनात कन्डक्टर के लिए केवल ए-1 कोच में बर्थ नं. 5

(ii) वातानुकूलित 3 टीयर/3ई कोचों में तैनात टीटीई के लिए बी-1/बीई-1 कोच में बर्थ नं. 7.

(iii) शयनयान श्रेणी के कोचों में तैनात टीटीई के लिए प्रत्येक दूसरे शयनयान श्रेणी के कोचों में बर्थ नं. 7.

ख. मेल/एक्सप्रेस गाडियां जिनमें सोने का स्थान और शुरू से अंत तक की तैनाती है (जिनमें राजधानी/शताब्दी/दूरांतो किस्म की गाडियां शामिल हैं)

(i) प्रथम वातानुकूलित और द्वितीय वातानुकूलित कोचों के लिए तैनात गाड़ी अधीक्षक (टीएस) के लिए ए-1 कोच में बर्थ नं. 5.

(ii) वातानुकूलित-2/3 टीयर कोचों के लिए तैनात उप गाड़ी अधीक्षक के लिए बी-1, बी-3, बी-5 और बी-7 कोचों में बर्थ नं. 7 । 3ई कोच के मामले में, बीई-1, बीई-4 और बीई-7 कोच में या गरीब

-2/-

रथ किस्म की गाडियों में जी-1, जी-3, जी-5 और जी-7 कोच में इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए।

ग. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां जिनमें बैठने का स्थान और शुरू से अंत तक तैनाती है (शताब्दी किस्म की गाड़ियां)

(i) गाड़ी अधीक्षक/उप गाड़ी अधीक्षक के लिए कोच नं. सी-1, सी-3, सी-5 और सी-7 में सीट नं. 1.
(ii) गाड़ी अधीक्षक एग्जिक्यूटिव श्रेणी के कोच के निकटवर्ती कोच में सीट ग्रहण करेंगे।

घ. मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों जिनमें बैठने के लिए सीट और लेग-वाइज तैनाती है (इंटर-सिटी किस्म की गाड़ियों) में जांच के लिए:

(i) इन कोचों में तैनात टिकट जांच कर्मचारियों के लिए द्वितीय श्रेणी के प्रत्येक दूसरे कोच में सीट नं. 1.
(ii) प्रत्येक दूसरे कुर्सीयान कोच में सीट नं. 1.
(iii) यदि गाड़ी में बैठने और सोने के स्थान वाले कोच जोड़े गए हों तो टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए संयुक्त कोच के बैठने वाले भाग में सीट नं. 1 निर्धारित की जाये।

(ड.) रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस के लिए स्थान: जिस गाड़ी में यह कर्मचारी यात्रा कर रहा हो, उस पूरी गाड़ी में शयनयान श्रेणी के कोच में एक साइड लोअर बर्थ (एस 1 कोच में बर्थ नं. 63) निर्धारित की जाए। इसे स्पष्ट करने के लिए, यदि गाड़ी में राजकीय रेल पुलिस द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा हो तो राजकीय रेल पुलिस के लिए शयनयान श्रेणी में एक बर्थ निर्धारित की जाएगी और यदि रेल सुरक्षा बल द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा हो तो शयनयान श्रेणी में रेल सुरक्षा बल के लिए 1 बर्थ निर्धारित की जाएगी। यदि गाड़ी का मार्गरक्षण रेल सुरक्षा बल/राजकीय रेल पुलिस द्वारा न किया जा रहा हो, तो उनके लिए कोई भी स्थान निर्धारित नहीं किया जाएगा।

2. ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए गाड़ी में निर्धारित की जाने वाली बर्थों/सीटों की संख्या गाड़ी के संघटन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। यदि नियमित आधार पर गाड़ी में टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों (रोस्टर के अनुसार कार्य करने वाले कर्मचारियों) की संख्या कम हो, तो ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए निर्धारित की जाने वाली सीटों/बर्थों की संख्या कम की जा सकती है और इसकी ऊपर दर्शाए गए अधिकतम मानदण्ड के अध्यधीन नियमित रूप से की गई जांच के आधार पर बाद में समीक्षा भी की जा सकती है। गाड़ी में भी ऑनबोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा उपयोग किए जाने वाले बर्थों/सीटों की संख्या स्टाफ की संख्या के बराबर होगी और अतिरिक्त बर्थों/सीटों को आरएसी या अन्य यात्रियों के लिए जारी किया जाएगा।

ह.

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

-3/-

<u>प्रतिलिपि प्रेषित</u>:

1) सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें
2) कार्य निदेशक सतर्कता(यातायात), कार्य निदेशक वित्त वाणिज्य, निदेशक वित्त (वाणिज्य), प्रधान निजी सचिव/एफसी, ओएसडी/टीसी, एफ(सी) और वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड
3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बी-148, 11वीं मंजिल, स्टेट्समैन हाउस, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्यिक, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/भुली-धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्व मध्य रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, उत्तर पश्चिम रेलवे/ उदयपुर
7) निदेशक, इंडियन रेलवे इंस्टिच्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ, 226011
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (एफआरओए), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी आफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मैट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71

*****